मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गांरटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

क्रमांक / 8527 /B1/3/NR-4/NR-10/MGNREGA-MP/2016 दिनांक : 31/08/2016

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म. प्र.
ज़िला - भिण्ड (म. प्र.)

विषय :- महात्मा गाँधी नरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लम्बित भुगतान के संबंध मे ।

संदर्भ :- मु.का.अ. ज़िला पंचायत भिंड का अर्ध-शासकीय पत्र क्रमांक 4258, भिंड, दिनांक 26.05.2016

---00---

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। आपके द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 मे राशि रु 149.98 लाख तथा 2015-16 मे रु. 110.50 लाख मजदूरी पर भुगतान लंबित दिखाई दे रहा है, जबकि वास्तविक रूप से भुगतान लंबित नही है |

उक्त के संबंध मे आपके जिले के जनपद स्तर के अधिकारी (AAO & APO) परिषद कार्यालय मे उपस्थित हुये, जिनके द्वारा अवगत कराया गया पोस्ट आफिस के FTO जो वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में Rejected प्रदर्शित हो रहे है, उनका भुगतान मैनुअली पोस्ट आफिस द्वारा कर दिया गया है, उक्त के संबंध में सुझाव दिया गया उक्तानुसार Transaction कि पुन: Wage list तैयार करते हुये सहायक लेखाधिकारी के माड्यूल से भुगतान Already paid विकल्प से Reject करते हुये DPC माड्यूल से भुगतान दिनांक दर्ज कि जावे | उक्त का परीक्षण परिषद कार्यालय मे करते हुये कुछ एफ़टीओ/ट्रांजेक्शन का निराकरण किया गया। क्योंकि समस्त एफ़टीओ/ट्रांजेक्शन का भुगतान दिनांक उक्तानुसार अधिकारियों के पास तत्समय उपलब्ध नहीं था, तो उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि उक्त का निराकरण ज़िला / जनपद स्तर पर पंहुच कर किया जायेगा । तदुपरान्त दूरभाष पर हुई चर्चा अनुसार अवगत कराया गया कि कुछ एफ़टीओ/ट्रांजेक्शन का निराकरण उक्तानुसार प्रक्रिया से किया गया है, जिससे वर्तमान मे मजदूरी पर लम्बित भुगतान घटकर वित्तीय वर्ष 2014-15 मे राशि रु. 110.52 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु. 76.56 लाख प्रदर्शित हो रहा है, जबकि शेष प्रकरणों का निराकरण किया जाना शेष है।

अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार प्रक्रिया से प्रदर्शित लम्बित भुगतान का निराकरण करने का कष्ट करें । यदि उक्तानुसार प्रक्रिया का पालन करने मे कोई समस्या है, तो संबन्धित विवरण के साथ परिषद को अवगत कराएं ।

उक्त के अतिरिक्त यदि लम्बित भुगतान का निराकरण में अन्य कोई समस्या है, तो संबन्धित विवरण के साथ ही परिषद कार्यालय को भेजें, ताकि संबन्धित समस्या का निराकरण किया जा सके ।

30/08/2016

(उवैस अहमद)
सिस्टम एनालिस्ट एवं स्टेट नोडल आफिसर
म. प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

F: NS ----